शोध प्रतिवेदन

''उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं में महिला उत्पीडन से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन'

निर्देशिका
डॉ. विजेता गौड़
(व्याख्याता)

प्रस्तुतकर्त्री
प्रियंका नाराणियाँ
(एम.एड. छात्रा)

बियानी गर्ल्स बी.एड़ कॉलेज, जयपुर(राजस्थान)

(सत्र 2015-17)

1 प्रस्तावना

"नारी विद्याता की सृष्टि का अनुपम रहस्य है। इसमें भीषणता, कोमलता , अखण्डता और सुकुमारता के साथ कठोरता, सरलता, शीतलता, कटुता, मृदूता, लावण्यता, मधुरता, ह्रदयहीनता, सह्रदयता भी है। समाज के अनिवार्य एवं अपरिहार्य रूप से कार्य करने वाली नारी की कुछ ऐसी विशेषताएँ है जिनके कारण नारी को सम्मानीय स्थान प्राप्त है। सृष्टि संचालको में सहायक होने के बाद लालन–पालन में कष्ट सहिष्णुता का रूप उसे समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाता है। उसके लालन पालन में कष्ट, सहिष्णुता का भाव प्रकट होता है। नारी विहीन समाज की कल्पना करना असम्भव है। नारी न केवल परिवार की धुरी होती है, अपितु पूरी पीढी की निर्माता होती है। नारी नाम आते ही नारी के अनेक रूप आँखो के सामने उजागर हो जाते है।

संतोषी सदा सुखी की मान्यता को अब उतनी प्रतिष्ठा नही मिलती, यह विचार धीरे–धीरे प्रभावहीन होने लगा। समाजवादी विचारो को भी अब यह सामाजिक प्रतिष्ठा नही मिल रही है जो आज से तीस चालीस वर्ष पूर्व प्राप्त थी।

आधुनिकता तथा भौतिकता की चमक ने नई पीढी को प्रभावित किया है। कवि दुष्यन्त कुमार लिखते है कि –

हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए।
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।।
आज यह दिवार पर्दो की तरह हिलने लगी है।
शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए।।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नही।
मेरी कोशिश थी कि सुरत बदलनी चाहिए।।

कवि की इन पंक्तियो से सहमति जताते हुये शोधकर्त्री का मानना है कि अब वास्तव में सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन ये सूरत तभी बदल सकती है, जब महिला अपने अधिकारों एवं कानून प्रावधानों के प्रति जागरूक हो जाये।

हमारे संविधान और कानून में महिलाओं के लिए समय–समय पर अनेक प्रावधान किये गये किन्तु जागरूकता के अभाव में महिलाएं अपने अधिकारो से अनभिज्ञ है। निरक्षर महिलाओं से तो जागरूकता की आशा ही नही की जा सकती है लेकिन साक्षर महिला भी या तो अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है या जानबूझकर अपने अधिकारो का प्रयोग नहीं करती है महिलाये अपने अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानो से परिचित होकर उत्पीड़न को सहन करने के स्थान पर उसका कड़ा विरोध कर सके, महिलाओ के आत्मबल आत्मविश्वास और साहस में इतनी वृद्धि हो जिससे कि वे अपने अधिकारो के प्रति पूर्ण जागरूक होकर उनका संरक्षण कर सके। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध एक प्रयास है।

2 अध्ययन का औचित्य

स्त्री समाज की उन्नति के अभाव में कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता, किन्तु यह एक अत्यन्त ही दुखद तथ्य है कि इन सब बातों का सभी को ज्ञान होने के बावजूद भी स्त्रियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय एवं शोचनीय बनी हुई है। प्रत्येक सुबह समाचार–पत्र स्त्री उत्पीड़न की घटनाओं से भरे हुए दिखाई देते है। दूरदर्शन के किसी भी समाचार चैनल पर प्रतिदिन महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न की खबर देखी जा सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिदिन अनेक महिलाओं को शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है।

अनेक विद्वानों भार्गव और धीर (1980), जमुना, डी. ;1985द्ध, सिंह, सुधा बाला (1989), चन्द्र, एस. के. (1992), शर्मा, श्रीमती रमा (2009), केवट आर.एन. (2009) आदि ने महिलाओं से सम्बन्धित अन्य मनोवैज्ञानिक चरों का अध्ययन किया है, लेकिन उन्होंने महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति उच्च माध्यमिक स्तर की विभिन्न वर्गो की छात्राओं में जागरूकता से सम्बन्धित कोई भी अध्ययन नहीं किया है। इसलिए शोधकर्त्री ने यह निश्चय किया कि *''महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति उच्च माध्यमिक स्तर की छात्राओं में जागरूकता का अध्ययन''* का शीर्षक के रूप में चयन करके अध्ययन किया जाए। इस अध्ययन का औचित्य इस दृष्टि से सार्थक होगा कि महिलाओं में अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नवचेतना का पादुर्भाव अपने अस्तित्व के प्रति विकसित होगा। महिला अपने अस्तित्व को समझ सकेंगी। उनमें साहस की वृद्धि होगी, उनका नैतिक, चारित्रिक एवं सामाजिक विकास हो सकेगा। इन्हीं बातों को प्रकाश में लाने की दृष्टि से शोधकर्त्री ने इस समस्या को युक्ति–संगत समझा और अपने अध्ययन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय बनाया।

शोध अध्ययन से उत्पन्न प्रश्न :–

1. महिलाएँ राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय क्यों नहीं हो रही हैं ?
2. आज भी महिलाएँ प्रगति की दौड़ में पीछे क्यों हैं ?
3. महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक क्यों नहीं हो रही हैं?
4. महिलाएँ आज भी उत्पीड़न का शिकार क्यों हो रहीं है?
5. समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त क्यों नहीं है?
6. आज भी महिलाओ को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त क्यों नहीं है?

इन्हीं अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर जानने की दिशा में इस अध्ययन की प्रासंगिकता बढ़ गई है।

3 समस्या कथन :–

''उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं में महिला उत्पीडन से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन''

4 अध्ययन के उद्देश्य :–

1. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं मे महिला उत्पीडन सम्बन्धी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालय की छात्राओं में महिला उत्पीडन से सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों कें प्रति जागरूकता का अध्ययन।
3. उच्च माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालय की छात्राओं में महिला उत्पीडन से सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन।

5 परिकल्पनाएँ :–

1. उच्च मध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी व निजी विद्यालयों की छात्राओं में महिलाओं के यौन उत्पीडन से सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।
2. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी व निजी विद्यालयों की छात्राओं में महिलाओं के शारीरिक उत्पीडन से सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।
3. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी व निजी विद्यालयों की छात्राओं में महिलाओं के सांवेगिक उत्पीडन से सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।
4. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी व निजी विद्यालयों की छात्राओं में महिलाओं के आर्थिक उत्पीडन से सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नही है।
5. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् सरकारी व निजी विद्यालयों की छात्राओं में महिलाओं के सामाजिक उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।

6 तकनीकी शब्दावाली :–

1. **उच्च माध्यमिक स्तर :–** उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी वे बालक तथा बालिकाएँ है जो कक्षा 11 व कक्षा 12 तक अध्ययनरत् हो उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में सम्मिलित है।

2. **जागरूकता :–** संस्कृत भाषा की जागृ' धातु के ऊक प्रत्यय के योग से जागरूक शब्द का सृजन होता है तथा इसमें तृच तथा टाप् प्रत्यय लगाकर जागरूकता शब्द का व्युत्पन्न होता है। इसका अर्थ है – निद्राशून्यता, सचेतता, जागरणशीलता। जागरूकता एक मानसिक भाव है जिसका अर्थ है – बोध सहित जागना।

3. **महिला उत्पीडन सम्बन्धी कानूनी प्रावधानः–** संविधान के अधीन महिलाओं के प्रभावी संरक्षण, जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार है और उसके सशक्त या आनुषांशिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

7 अनुसंधान विधि :–

प्रस्तुत शोध कार्य में अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

8 अनुसंधान के चर :–

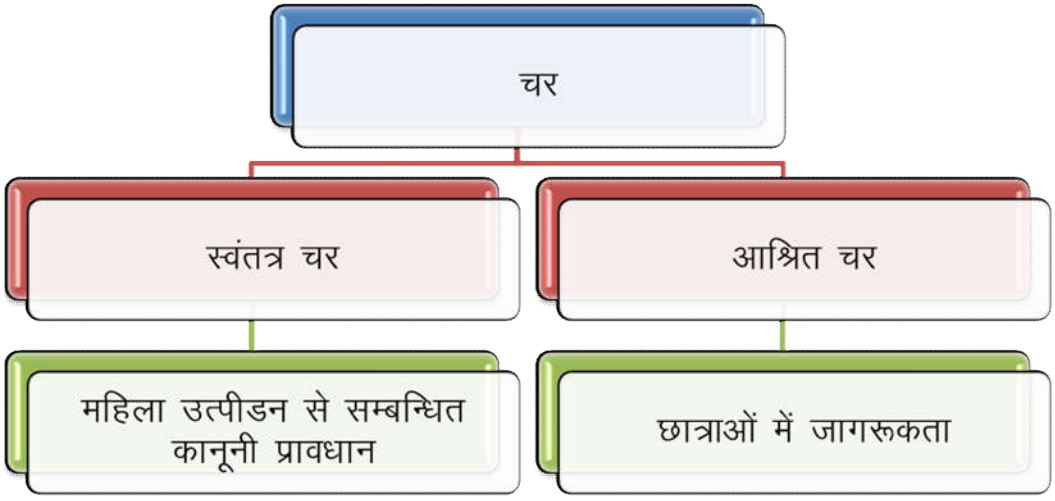

9 जनसंख्या :–

जयपुर शहर के सरकारी व निजी विद्यालयों की उच्च माध्यमिक स्तर की छात्राएँ।

न्यादर्श :–

''एक सांख्यिकीय न्यादर्शन उस सम्पूर्ण समग्र अथवा योग का एक लघु चित्र है, जिससे न्यादर्श लिया गया है।''

– पी.वी. यंग[1]

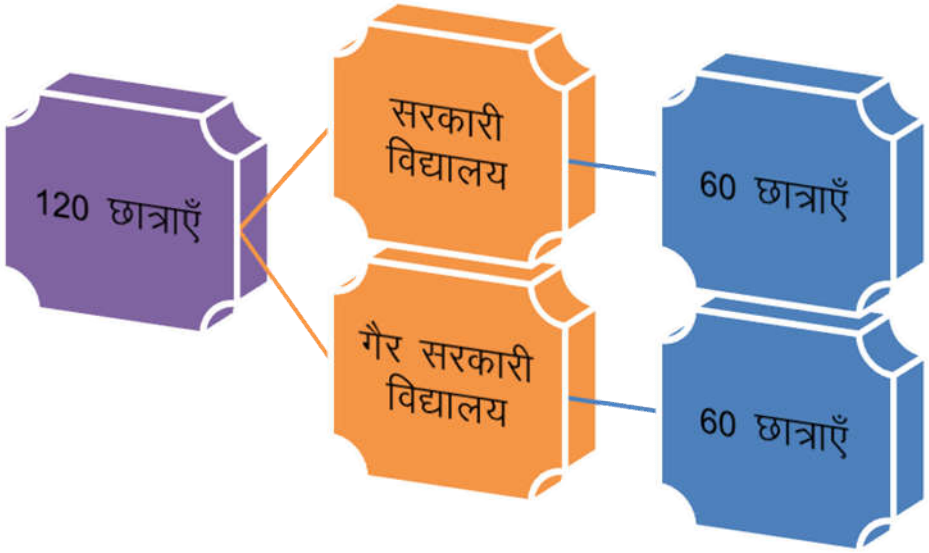

10 शोध में प्रयुक्त उपकरण :–

प्रस्तुत शोध कार्य मे महिला उत्पीडन से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों कें प्रति उच्च माध्यमिक स्तर की छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन करने के लिए शोधकर्त्री द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया।

11 प्रदत्तों की प्रकृति :–

प्रस्तुत अध्ययन में प्रदत्तों की प्रकृति मात्रात्मक एवं गुणात्मक है।

[1] *बरौलिया (2008) "शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ, संमक" संकम विश्लेषण एवं शैक्षिक सांख्यिकी, पृ.स. 291–309.*

12 अनुसंधान में प्रयुक्त सांख्यकी :–

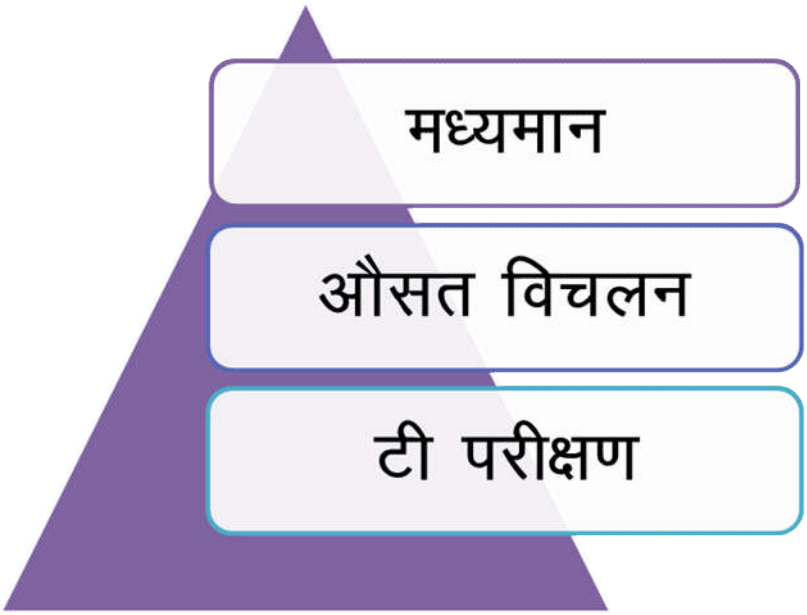

13 समस्या का सीमांकन :–

1. प्रस्तुत लघु शोध जयपुर जिले के शहरी क्षेत्र तक ही सीमित किया गया।
2. प्रस्तुत लघु शोध मे केवल उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग की छात्राओं को महिला उत्पीडन से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का मापन करने हेतु चयन किया गया।
3. प्रस्तुत अध्ययन केवल 120 शहरी उच्च माध्यमिक स्तर की छात्राओं तक सीमित किया गया।
4. प्रस्तुत अध्ययन में महिला उत्पीडन के अन्तर्गत पाँच ही आयाम यौन उत्पीडन, शारीरिक उत्पीडन, सांवेगिक उत्पीडन, आर्थिक उत्पीडन एवं सामाजिक उत्पीडन ही लिये गये है।
5. प्रस्तुत अध्ययन शहरी क्षेत्र के दो सरकारी व दो निजी विद्यालयों तक ही किया गया।

14 परिकल्पनाओं के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या :–

परिकल्पना – 1

उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी व निजी विद्यालयों की छात्राओं में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता फलांकों के मध्यमानों में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।

निष्कर्ष :–

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत सरकारी व निजी विद्यालयों की छात्राओं में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया जिसमें सरकारी विद्यालय की छात्राओं व निजी विद्यालय की छात्राओं की जागरूकता में अंतर पाया गया है।

परिकल्पना – 2

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत सरकारी व निजी विद्यालयों की छात्राओं में महिलाओं के शारीरिक उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता फलांकों के मध्यमानों में सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष :–

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत सरकारी व निजी विद्यालयों की छात्राओं में महिलाओं के शारीरिक उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया जिसमें सरकारी विद्यालय की छात्राओं व निजी विद्यालय की छात्राओं की जागरूकता में अंतर पाया गया है।

परिकल्पना – 3

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत सरकारी व निजी विद्यालयों की छात्राओं में महिलाओं के सांवेगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता फलांकों के मध्यमानों में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

निष्कर्ष :–

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत सरकारी व निजी विद्यालयों की छात्राओं में महिलाओं के सांवेगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया जिसमें सरकारी विद्यालय की छात्राओं व निजी विद्यालय की छात्राओं की जागरूकता में अंतर पाया गया है।

परिकल्पना – 4

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत सरकारी व निजी विद्यालयों की छात्राओं में महिलाओं के आर्थिक उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता फलांकों के मध्यमानों में सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष :–

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत सरकारी व निजी विद्यालयों की छात्राओं में महिलाओं के आर्थिक उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया जिसमें सरकारी विद्यालय की छात्राओं व निजी विद्यालय की छात्राओं की जागरूकता में अंतर पाया गया है।

परिकल्पना – 5

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत सरकारी व निजी विद्यालयों की छात्राओं में महिलाओं के सामाजिक उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता फलांकों के मध्यमानों में सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष :–

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत सरकारी व निजी विद्यालयों की छात्राओं में महिलाओं के सामाजिक उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया जिसमें सरकारी विद्यालय की छात्राओं व निजी विद्यालय की छात्राओं की जागरूकता में अंतर पाया गया है।

15 शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सूझाव :–

शोधकर्त्री द्वारा किये गये ''उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं में महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता'' के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों में पाया गया कि सरकारी विद्यालय की छात्राओं में निजी विद्यालयों की छात्राओं की अपेक्षा महिलाओं के कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव पाया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य के अन्तर्गत यह पाया गया कि सरकारी विद्यालय की छात्राओं में जागरूकता लाना आवश्यक है। इसलिए शोधकर्त्री द्वारा निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं –

(1) सरकारी विद्यालय की छात्राओं को अध्यापकों द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

(2) सरकारी विद्यालयों की छात्राओं के लिए महिला उत्पीड़न से सम्बन्धीत कानूनों की जानकारी के लिए ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे कि उन्हें सेफ टच व अनसेफ टच के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

(3) सरकारी विद्यालय के अध्यापकों के लिए भी महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए।

(4) छात्रों के द्वारा विद्यालय में महिलाओं उत्पीडन से सम्बन्धित वाद–विवाद प्रतियोगिता करवानी चाहिए जिससे कि उनमें आत्माभिव्यक्ति की क्षमता विकसित की जाये।

(5) सरकारी विद्यालयों की छात्राओं के लिए महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित फिल्म क्लिप या शॉर्ट फिल्म दिखाई जानी चाहिए जिससे कि वे उत्पीड़न व उससे बचने के लिए उनमें जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए।

(6) विद्यालयों में महिला उत्पीड़न से सम्बन्धीत आशुभाषण प्रतियोगिता करवायी जानी चाहिए।

(7) विद्यालय में ''महिला सशक्तिकरण'', ''महिला उत्पीड़न'' आदि से सम्बन्धित निबन्ध प्रतियोगिता करवानी चाहिए।

(8) सरकारी विद्यालयों में छात्राओं को जागरूक करने के लिए N.G.O. की मदद से विद्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

(9) पाठ्यक्रम में महिलाओं से सम्बन्धित अधिकारों को पाठ्यवस्तु में शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि छात्राओं में जागरूकता उत्पन्न की जा सके।

(10) सरकारी विद्यालय की छात्राओं को उनके अधिकारों व कानूनों से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

(11) पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से छात्राओं में महिला अधिकारों के प्रति चेतना विकसित करनी चाहिए जिसका उपयोग वे अपने भावी भविष्य में कर सके।

(12) छात्राओं के द्वारा महिलाओं के अधिकारों से सम्बन्धित विषयों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करवाना चाहिए।

(13) महिला उत्पीड़न एवं महिलाओं के अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूकता रैलियों का आयोजन करके भी छात्राओं में जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए।

(14) सरकारी विद्यालयों में छात्राओं के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे कि उनको आत्मरक्षा प्रशिक्षित किया जा सके।

➢ **प्रस्तुत अध्ययन की शैक्षिक उपयोगिता :–**

1. शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में निरन्तर अन्वेषण के परिणामस्वरूप समाज में एक नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य को पूर्णता प्रदान की जा सकती है।

2. शिक्षा जगत में निरन्तर अनुसंधान के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को निश्चित रूप से परिभाषित करके उनके निराकरण का मार्ग दिखाया जा सकता है।

3. अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर संरचनात्मक परिवर्तन को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया जा सकेगा।

4. वर्तमान समय में विभिन्न वर्गो की छात्राओं को महिला उत्पीड़न सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता बनाए रखने के प्रति संवेदनशील व सकारात्मक होने की आवश्यकता है।

5. इस प्रकार के शोध कार्य इस क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य करेंगे। शोधकर्त्ता इस प्रकार की समस्याओं पर भविष्य में निरन्तर कार्य करने का प्रबल इच्छुक है।

शिक्षा, समाज एवं राष्ट्र उत्थान के क्षेत्र में निरन्तर उर्ध्वगामी विकास हो इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के माध्यम से महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का पहचान कर उनके कारणों एवं तथ्यों की खोज की जाये। शोधकर्त्ता को आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत शोध कार्य से

विद्यालय, समाज, घर–परिवार सभी स्तरों पर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास सम्भव होगा।

16 भावी शोध हेतु सुझाव :–

1. भावी शोधकर्त्ता किसी क्षेत्र विशेष के सामान्य वर्ग व अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं का महिला उत्पीड़न से सम्बन्धीत कानूनी प्रावधानों का अध्ययन किया जा सकता है।
2. भावी शोधकर्त्ता उच्च माध्यमिक स्तर की विज्ञान वर्ग की छात्राओं का महिला उत्पीड़न से सम्बन्धीत कानूनी प्रावधानों का अध्ययन किया जा सकता है।
3. भावी शोधकर्त्ता उच्च माध्यमिक स्तर की वाणिज्य वर्ग की छात्राओं का महिला उत्पीड़न से सम्बन्धीत कानूनी प्रावधानों का अध्ययन किया जा सकता है।
4. भावी शोधकर्त्ता के द्वारा यह अध्ययन महाविद्यालय स्तर पर भी किया जा सकता है।
5. यह अध्ययन निजी व सरकारी व गैर सरकारी अनुदानित व गैर अनुदानित विद्यालयों की छात्राओं पर भी किया जा सकता है।
6. भावी शोधकर्त्ता यदि इससे बड़ा न्यादर्श लेकर छात्राओं में महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करें तो निष्कर्ष और अधिक विश्वसनीय प्राप्त हो सकते है।

17 उपसंहार :–

प्रस्तुत अध्याय में पूर्व के चार अध्यायों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया गया है प्रस्तुत शोध के परिणामों को अंतिम सत्य नहीं माना जाए क्योंकि कोई भी ग्रन्थ अपने आप में पूर्ण नहीं होता इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होने की संभावनाएँ अवश्य होती है। अतः शोधकर्त्ती ने यह आशा व्यक्त की है, यदि यह लघु शोध प्रबंध आगे अन्य अनुसंधानकर्त्ताओं को अध्ययन हेतु प्रेरित कर शिक्षा जगत को लाभान्वित कर सके तो अपने प्रयास को सफल एवं सार्थक मानेगी।